WWW.SARKARIDISHA.COM

[Delhi Home Guard Syllabus Hindi]

बी चरण : II -लिखित परीक्षा और बोनस अंक प्रदान करना

दस्तावेज़ और बोनस अंक सत्यापनः

बी 1.केवल पीएमईटी योग्य उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा

a) लिखित परीक्षा में 80 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे ,प्रत्येक का 1 अंक का होगा ,कुल मिलाकर 80अंक होंगे और इसकी अवधि 90 मिनट होगी। प्रश्न पत्र निम्नलिखित विषयों से मैट्रिकुलेशन 10 वीं कक्षा मानक का होगा :–

1. अंकगणित
2. सामान्य विज्ञान
3. सामान्य बुद्धि और तर्क
4. दिल्ली का इतिहास ,संस्कृति और स्थलाकृति
5. भारत का संविधान
6. प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति
7. भूगोल एवं सामान्य ज्ञान
8. सामयिकी

b) प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में द्विभाषी होगा।

c) यदि पीएमईटी उत्तीर्ण करने के बाद भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व सीएएमएफ कर्मियों की संख्या कुल रिक्तियों के 10% से कम रहती है, तो उनके के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी।

बी)2. (ए) बोनस अंक

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत किए गए बास्तविक दावे के अनुसार, निम्नलिखित को पूरा करने के अनुसार, उन्हें बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। हालाँकि, **दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान इसे सत्यापित किया जाएगा और किसी भी गलत जानकारी/दावे पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।**

बोनस के रूप में अधिकतम 16 अंक निम्नलिखित विवरण के अनुसार दिए जाएंगेः

i) **<u>एनसीसी के लिए बोनस अंक</u>**

- एनसीसी' सी 'प्रमाणपत्र 5अंक
- एनसीसी' बी 'प्रमाणपत्र 3अंक
- एनसीसी' ए 'प्रमाणपत्र 2अंक

ii) **<u>होम गार्ड के रूप में अनुभव के लिए बोनस अंक</u>**

- 2 वर्ष का अनुभव : **3 अंक**
- 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभवः **4 अंक**
- 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का अनुभवः **6 अंक**
- 5 वर्ष से अधिक का अनुभव : **8 अंक**

iii) **<u>नागरिक सुरक्षा में अनुभव के लिए बोनस अंक</u>**

- 2 वर्ष का अनुभव : **2 अंक**
- 2 वर्ष से 3 वर्ष तक का अनुभवः **3 अंक**
- 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का अनुभवः **5 अंक**
- 5 वर्ष से अधिक का अनुभव : 6 **अंक**

अब गूगल पर हमेशा Sarkaridisha.com ही टाइप करें

WWW.SARKARIDISHA.COM

iv) सी टी आई-दिल्ली से पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स या न्यूनतम दो सिविल डिफेंस एडवांस कोर्स या एन सी डी सी-नागपुर/सीटीआई-बैंगलोर से किसी एक कोर्स का प्रमाण पत्र होना **3 अंक**

ध्यान दें :केवल पीएमईटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही पहले लिखित परीक्षा में शामिल होंगे ,और केवल वे उम्मीदवार, जो लिखित परीक्षा सह बोनस अंकों की मेरिट सूची में शामिल होंगे ,उन्हें बोनस अंक दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

बी)2. (बी) दस्तावेज़ और बोनस अंक सत्यापन :पात्रता शर्तों के सत्यापन और बोनस के दावे के लिए मूल दस्तावेजों की विधिवत गठित बोर्ड द्वारा जांच और सत्यापन किया जाएगा।

i. बोनस अंकों के किसी भी झूठे दावे या आवेदन पत्र पर उम्मीदवार द्वारा दी गई किसी अन्य गलत जानकारी या आवश्यक दस्तावेज जमा न करने/प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के निवासी के लिए बैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ,अन्यथा उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा योग्य प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, उस अधिनियम/आदेश के स्पष्ट उल्लेख सहित, जिसके तहत जाति को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी जाती है और गांव/शहर जहाँ का सामान्य रूप से निवासी है।
iv. ओबीसी के रूप में आरक्षण की मांग करने वाले उम्मीदवार द्वारा निर्धारित प्रारूप में घोषणा, कि वह समुदाय प्रमाण पत्र (ओबीसी) के अलावा क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है।
v. नामांकन के लिए अंतिम मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और सत्यापित बोनस अंक के आधार पर बनाई जाएगी।

नोट :उपलब्ध रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन केवल उन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा और सत्यापित बोनस अंकों की मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा जिन्होंने दोनों चरणों को उत्तीर्ण किया हो।

3 इंटर-से-रैंकिंग (परस्पर योग्यताक्रम) :

समान कुल अंक) अर्थात लिखित परीक्षा के कुल अंक और बोनस अंक (प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की *अंतर-से-रैंकिंग* निम्नानुसार मानदंड के अनुसार तय की जायेगी:

i. लिखित परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
ii. यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के लिखित अंक समान हैं ,तो उम्मीदवारों की योग्यता उनकी ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी अर्थात लम्बे उम्मीदवार को योग्यताक्रम में ऊपर रखा जाएगा;
iii. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की ऊंचाई भी समान होगी ,तो उन्हें उनकी आयु के अनुसार मेरिट आवंटित की जाएगी अर्थात अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को योग्यताक्रम में उच्च माना जाएगा;
iv. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्म तिथियां भी समान हैं ,तो उन्हें उनके नाम के बर्णमाला के अनुसार मेरिट में माना जाएगा अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों को उनके नाम को बर्णमाला क्रम में व्यबस्थित करने के बाद मेरिट आवंटित की जाएगी।

अब गूगल पर हमेशा Sarkaridisha.com ही टाइप करें